A letter published in the *Indian Express* issue dated 15th July, 1930 stated that on the attention of the Prime Minister being drawn to the aforesaid situation, she stated in reply that the Central Education Ministry has been asked to look into the matter.

The curtailment of educational facilities to linguistic minorities and the consequent deprivation of Urdu minority to have adequate facilities for instruction in Urdu is a serious matter. The provisions of Article 350A of the Constitution have always to be satisfied.

The matter brooks no delay. I urge upon the Government to look into the matter—Necessary directives be issued to the State Government to secure compliance with the provisions of the Constitution. The Government should make an early statement in the House.

(iv) SUPPLY OF CHEAP RAW MATERIAL TO HANDLOOM WEAVERS.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर): सभापति जी, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं ---

"हमारे देश में बुनकरों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। सूत और कैमिकल्स के मूल्य लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस से पूर हथकरघा उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है तथा इस उद्योग की प्रगति को बाधा पहुंच रही है। यदि सूत और कैमिकिल्स के मूल्यों को कम करने का प्रयास नहीं किया गया तो बहुत से बुनकरों को भयंकर बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेशनल टैक्सटाइल्स कर्पोरेशन के अनेक कारखाने इस समय सूत का उत्पादन बन्द कर दिये हैं और यह कार्य निजी क्षेत्र के कारखानों द्वारा किया जा रहा है जिससे मिल-मालिक सूत का मनमाना दाम ले रहे हैं। अतः सरकार को चाहिये कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के उन सभी कारखानों को जो नेशनल टैक्सटाइल्स कार्पोरेशन के अन्तर्गत आते हैं, निर्देश दें कि वे सूत का उत्पादन कार्य पुनः आरम्भ करें जिससे उसके मूल्य में कमी हो सके। साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा बुनकारों को सस्ते दामों पर सूत उपलब्ध कराया जाये। वर्ष 72-73 तथा बाद के वर्षों में बुनकरों को बैंकों द्वारा दिये गये कर्जे की वसूली रोकी जानी चाहिए और ब्याज को माफ कर देना चाहियें। गरीब बुनकरों को भुखमरी और बेरोजगारी से बचाने के लिए सरकार को शीघ्र प्रभावशाली कदम उठाने चाहियें।

(v) REPORTED LOCK-OUT IN MODINAGAR TEXTILE MILLS, MODINAGAR.

श्री कृष्णचन्द्र पांडे (खलीलाबाद): सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश की मोदीनगर कपड़ा मिल लगभग ढाई-तीन महीने से बंद पड़ी हुई है। मिल प्रबन्धकों द्वारा मजदूरों की जायज मांगों को स्वीकार न कर मिल को बंद कर दिया गया, जबकि बातचीत के द्वारा इस समस्या को हल किया जा सकता था। अब मिल प्रबन्धकों द्वारा नाना प्रकार से मजदूरों को परेशान किया जा रहा है। मजदूरों के सामने भुखमरी फैली हुई है क्योंकि दो महीने से कोई वेतन नहीं मिला है। 14 हजार मजदूरों के बच्चे अभी स्कूलों में प्रवेश नहीं पा सके हैं जिसके कारण उनमें असंतोष बढ़ता जा रहा है। मिल प्रबन्धकों द्वारा 14 हजार मजदूरों में से मात्र 3300 मजदूरों को जिनमें अधिकांश नई भर्ती हैं, रखा गया है। प्रबन्धक मजदूर कानूनों का खुला उल्लंघन कर सारा दोष मजदूरों पर मढ़ने के लिए उनसे प्रतिज्ञा पत्र भरवा रहे हैं जिसमें उनसे अपनी गलती मानने तथा भविष्य में हड़ताल न करने की बात कही गई है। नौकरी में न लेने की धमकी दे रहे हैं और अपने गुंडों के सहारे मजदूरों को बुरी तरह से अपमानित एवं भयभीत कर रहे हैं। युवक कांग्रेस (आई) के कार्यकर्ता जो मजदूरों को पर्याप्त संरक्षण दे रहे हैं, उन्हें भी प्रबन्धक गुंडों द्वारा जान से मारने आदि की धमकी दे रहे हैं क्योंकि इस हड़ताल के लिए प्रबन्धक दोषी हैं, इसलिए निकाले गये सभी श्रमिकों को सम्पूर्ण वेतन सहित काम पर लिया जाये, लाक-आउट के समय की श्रमिकों को भी सम्पूर्ण हानि की पूर्ति प्रबन्धकों द्वारा की जाए, लाक-आउट खोलने के बाद माफीनामा भरने की शर्तों को